पत्र सं0-सं0सं0-04/निबंधन-30/2016

सत्यमेव जयते

दिनांक:-........अप्रैल' 16

बिहार सरकार

राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय

बिहार, पटना।

संस्थाओं के निबंधन का प्रतिसंहरण

1. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 52 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्था "विश्व शांति संस्थान", ग्राम+पो0-बेलौरी, प्रखण्ड-गुठनी, जिला-सिवान को दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ परियोजना संचालन हेतु इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक-53/आ0नि0को दिनांक-16.01.2019 के अन्तर्गत प्रदत्त निबंधन को एतद् द्वारा प्रतिसंहरित (Revocate) किया जाता है।
2. निबंधन का प्रतिसंहरण जिला पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक-XXXVII-02/16-180/सा0सु0को0, दिनांक-15.02.2019 तथा पत्रांक-XXXVII-02/16-891/सा0सु0को0, दि0-03.12.2018 के आलोक में किया जाता है, जिसके अन्तर्गत संस्था को निबंधन हेतु अनुशंसा के योग्य नहीं पाये जाने से सम्बन्धित प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है।
3. संस्था के निबंधन के प्रतिसंहरण के आलोक में बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 के नियम-8(4) के प्रावधान अनुरूप संस्था को निर्गत निबंधन प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता समाप्त हो जाती है।

ह0/-
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-04/निबंधन-30/2016 393/आ.नि.को.

दिनांक:-10 अप्रैल' 16

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, सिवान को उनके पत्रांक-XXXVII-02/16-180/सा0सु0को0 दिनांक-15.02.2019 तथा पत्रांक-XXXVII-02/16-891/सा0सु0को0 दि0-03.12.2018 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10.04.19

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।